

निलामी सूचना

महाविद्यालय परिसर के अर्न्तगत आम, लीची, आदि वृक्षों के फलों की निलामी, दिनांक 15.01.2020 को 01 : 00 बजे दिन में कमरा नं० 120 में निलामी सदस्यों द्वारा की जायेगी। उक्त परिसर में 333 (तीन सौ तैतीस) आम एवं 08 (आठ) लीची का पेड़ है, ये सभी पेड़ IIT Bhagalpur के अर्न्तगत नहीं आता है। इच्छुक आवेदक जमानत की राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र का Bank Draft, Principal BCE, Bhagalpur के नाम से प्राचार्य कार्यालय में जमा कर निम्नलिखित शर्तों पर निलामी में भाग ले सकते हैं।

1. यह बंदोबस्ती एक वर्ष यानि वर्ष 2020 के फलों के लिए होगा।
2. कुल राशि का एक चौथाई राशि आदेश निर्गत के तीन दिनों के अन्दर एवं शेष राशि 07 दिनों के अन्दर प्राचार्य, बी.सी.ई., भागलपुर को जमा करना होगा। यह राशि निर्धारित समय पर नहीं जमा करने पर जमानत की राशि एवं अन्य राशि शोख्त हो जायेगी।
3. जमानत की राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र फल समाप्ति के बाद बगीचे के वृक्षों को कोई हानि नहीं पहुँचाने पर लौटाई जायेगी।
4. परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर सम्पदा/सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करना होगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक होगा।
5. लकड़ी काटना अथवा जमीन की अन्य प्रकार के व्यवहार में दण्डनीय होगा।
6. पूरी रकम जमा करने के बाद रसीद केयर-टेकर को देखाने के बाद बगीचे का प्रभार दिया जायेगा। जिसपर प्राचार्य BCE Bhagalpur से आदेश प्राप्त करना होगा। अगर किसी कारणवश निधारित अवधि में निलामी राशि जमा नहीं किया जाता है तो बन्दोवस्ती स्वतः रद्द हो जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा। तथा उच्चतम में दूसरी बोली लगाने वाले के नाम बगीचा का बन्दोवस्ती कर दिया जायेगा।
7. निम्नलिखित वृक्षों के फलों को छोड़कर बाकी वृक्षों के फलों पर इनका अधिकार रहेगा।
 - i. आवासीय पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास के घेरे के अन्दर।
 - ii. कर्मचारी के आवास सं० 01 पश्चिम दिशा के आम तीन वृक्षों के फल।
8. उपरोक्त निलामी को स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।


ह०/-
प्राचार्य
बी०सी०ई०, भागलपुर।

ज्ञापांक.....17.....


दिनांक.....07.01.2020.....


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर।
2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर।
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सबौर, भागलपुर।
4. अंचलाधिकारी, सबौर, भागलपुर।
5. जन-सम्पर्क विभाग, भागलपुर।
6. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, बेली रोड, पटना।
7. लेखा पदाधिकारी, बी०सी०ई०, भागलपुर।
8. रोकड़पाल, बी०सी०ई०, भागलपुर।
9. सम्पदा पदा०/सुरक्षा पदा०, बी०सी०ई०, भागलपुर।
10. केयर-टेकर, बी०सी०ई०, भागलपुर।
11. प्रधान लिपिक सह-लेखपाल, बी०सी०ई०, भागलपुर।
12. महाविद्यालय सूचना पट्ट, बी०सी०ई०, भागलपुर।


प्राचार्य
बी०सी०ई०, भागलपुर।

बी०सी०ई०, भागलपुर।


07.01.2020


07.01.2020